आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
27/06/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **सर्वे अपील 16/2018** **गोबरा भगत व अन्य बनाम् लोदो उरांव, टीटो उरांव** प्रश्नगत् अपील आवेदन पुनरीक्षण वाद संख्या–312/2008 (बेड़ो) में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालयों द्वारा विपक्षी के आवेदन को मान्य करते हुये श्रीमती टीटो उराईन एवं लोदो उरांव के नाम खाता संख्या–77/225 के खाना–04 में अंकित करने का आदेश पारित किया गया था। उभयपक्षों को सुना गया एवं विपक्षी क्रमांक–02 के मृत्यु के पश्चात् उनका नाम विलोपित किया गया। विपक्षी द्वारा लिखित बहस भी दायर की गयी। आवेदकों का दावा है कि उभयपक्ष उरांव समुदाय से आते है तथा उक्त समुदाय के रीति–रिवाज के अनुसार सम्पति में हिस्सेदारी प्राप्त करते है, जिसके अनुसार विधवा महिला तथा पुत्री को सम्पति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपीलार्थी खतियानी रैयत सोमरा उरांव के निकटतम वारिस है। टाईटल सूट–175/1967 में व्यवहार न्यायालय द्वारा विपक्षियों के प्रश्नगत् भूमि पर अधिकार नहीं होने के बिन्दु पर स्पष्ट आदेश दिये गये है। इसके पश्चात् भी उनके नाम से खतियान में इन्द्राज किये गये है। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि सर्वे में सोमरा उरांव के नाम से दर्ज है, जिनके दो पुत्र जामा उरांव एवं लोदो उरांव है। टीटो उरांव, जामा उरांव की विधवा थी। अपीलार्थी द्वारा एक वंशावली प्रस्तुत की गयी है, जिसमें जामा उरांव को सोमरा उरांव के एक मात्र पुत्र होने का उल्लेख किया गया है, जबकि लोदो उरांव भी उनके पुत्र थे, जैसा कि ग्राम–हरिहरपुर के मतदाता सूची से भी स्पष्ट होता है। सोमरा उरांव के वंशज जीवित है, जिस कारण उन्हें प्रश्नगत् सम्पति पर अपना अधिकार प्राप्त है। अपीलार्थियों के द्वारा एक टाईटलसूट–125/2007 विपक्षियों के विरूद्ध दायर की गयी है, जो वर्तमान में मुंसिफ––(II) के न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदकों के द्वारा विभिन्न न्यायालयों	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	में इस विषय को उठाते हुये भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। निम्न न्यायालय के आदेश में यह भी उल्लेख है कि स्थल जाँच में वंश–वृक्ष की सम्पुष्टि की गयी है। उक्त न्यायालय में प्रतिवादी टीटो उराईन द्वारा उनके पति–जामा उरांव व लोदो उरांव के सहोदर भाई होने के संबंध में बयान भी दर्ज किया गया है। इसी आधार पर खाता संख्या–77/225 के खाना–04 में प्रतिवादियों के नाम इन्द्राज किये गये है। स्पष्टतः प्रश्नगत् आदेश में कोई तार्किक त्रुटि नहीं है। आवेदकों के द्वारा इसी भूमि को लेकर व्यवहार न्यायालय में टाईटल सूट दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में यह अपील आवेदन खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.24 13:15:23 +05:30
Location: 192.168.1.40